भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1620
सोमवार, 4 अगस्त, 2025 (13 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्री-हवाई किराया और हवाई शुल्क का विनियमन

1620. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्त किराए पर अंकुश लगाने के लिए "विमान नियम, 1937" के अंतर्गत निर्दिष्ट उचित लाभ को परिभाषित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का हवाई किराए को विनियमित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अधिकार देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की तर्ज पर हवाई किराए की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार सभी घरेलू विमानपत्तनों पर एक समान शुल्क / टैरिफ के लिए नीति लागू करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के अनुसार, प्रत्येक वायु परिवहन उपक्रम को प्रचालन लागत, सेवा की विशिष्टताएं, उचित लाभ और सामान्यतः प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना होगा।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके यादृच्छिक आधार पर 78 चयनित मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-135 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत अपने द्वारा घोषित सीमा से अधिक विमान किराया न वसूलें। यह घरेलू यातायात के लगभग 27% को कवर करता है।

हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं और वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-135 का अनुपालन करते हुए एयरलाइनें अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर हवाई किराए का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति

और मांग की मौलिक आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। विभिन्न निर्धारक जैसे वर्तमान सीट उपलब्धता, ईंधन लागत, विमान क्षमता और प्रतिस्पर्धी कारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

हवाई किराए में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, मंत्रालय सतर्क रहता है और एयरलाइनों को उदारता बरतने/स्व-विनियमन करने हेतु संवेदनशील बनाता है, उड़ानों की संख्या में वृद्धि, क्षमता का पुनः आवंटन आदि, जैसे उपाय अपनाए जाते हैं, जैसा कि महामारी, त्योहारों, महाकुंभ और पहलगाम घटना के दौरान किया गया था।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता के दृष्टिगत, सरकार इस क्षेत्र के विकास में सहायता देने के लिए सक्षमकारी वातावरण का सृजन करके सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।

******